

अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं सहायता प्रदान करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं देशों का अध्ययन

ज्ञानेन्द्र सिंह, डॉ. गीता सिंह

अर्थशास्त्र विभाग, जे. एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जैसा कि विदित है कि अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं सहायता किसी उद्योग, सरकार, संस्था या समुदाय द्वारा पूंजी को सूचित करती है। यह पूंजी विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनों व तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगायी जा सकती है जिसका स्वरूप पूंजी में हिस्सा बंटाना, विदेशी सहयोग व विदेशी मुद्रा ऋण आदि हो सकता है, लेकिन कुछ विदेशी संस्थाएं या सरकारें ऋणों के साथ-साथ कुछ अनुदान भी देती हैं जिसको वे वापस नहीं लेती हैं। यह अनुदान विदेशी सहयोग की परिधि में प्रमाणित किया जाता है। यह सहायता वर्गीकृत व अवर्गीकृत (Project aid and non-project aid) दोनों प्रकार की हो सकती है। वर्गीकृत सहायता किसी विशेष परियोजना के लिए उसको उसी परियोजना पर व्यय करना पड़ता है, जबकि अवर्गीकृत सहायता किसी भी परियोजना के लिए काम में लायी जा सकती है।

मूलशब्द: ऋण एवं सहायताए उद्योगए सरकारए समुदायए विशेष परियोजना

विदेशी सहयोग के सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु अग्रलिखित दो अंशों पर विचार करते हैं—

क. वर्ष 2009 में विश्वबैंक ने भारत को दो परियोजनाओं को लक्ष्य करके 40.50 करोड़ डॉलर के ऋण प्रदान करने का अनुमोदन किया था। इसके अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि आन्ध्रप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी सेवाओं और प्रबन्धन में सुधार तथा पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन को बढ़ावा देने से जुड़ी परियोजनाओं पर व्यय की जानी थी।

ख. 25 दिसम्बर 2010 के दैनिकजागरण के अनुदान "वित्तमन्त्रालय का मानना है कि अर्थव्यवस्था में अभी तक आयी विदेशी पूंजी को खपाने की पूरी क्षमता है। वर्ष 2010 तक देश में विदेशी संस्थापक निवेशक (एफ.आई.आई) 38.5 अरबडॉलर की विदेशी पूंजी लगा चुके हैं। नवम्बर के महीने में ही एफ.आई.आई ने 4.78 अरबडॉलर की पूंजी उड़ेली है।²

ग. मार्च 2014 तक 7,32,49 करोड़ रु. प्राप्त हुए जो 217.7 अरबडॉलर के कुल प्रवाह का 70 प्रतिशत था। इसका चैनई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुम्बई को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारी संकेन्द्रण है। अतः ऐसे विकसित क्षेत्रों में जहां आधार संरचना तथा जुड़ाव है, विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है।³

अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं सहायता प्रदान करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं देशों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है। वे बिन्दु हैं—

1. विकसितदेशों का सहायता सम्बन्धी अध्ययन (Study of developed Countries in reference of External Aid)
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (International Monetary fund)
3. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक—विश्वबैंक (International Bank of Reconstruction and Development – IBRD/World Bank)
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम (International Finance Corporation)
5. अन्तर्राष्ट्रीय विकाससंघ (International Development Association)
6. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) (ABD)
7. विकसितदेशों का सहायता सम्बन्धी अध्ययन (Study of Developed Countries in reference to external Aid)

अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं सहायता प्रदान करने वाले विकसित देशों की श्रेणी में प्रमुख राष्ट्र हैं—

1. अमेरिका
2. ब्रिटेन
3. कनाडा
4. रूसतथा
5. जापानआदि।

उक्त विकसित राष्ट्रों की सहायता सम्बन्धी स्थिति को क्रमशः प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

अमेरिका—

भारत की आजादी के बाद अमेरिका ने विदेशी सहयोग के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, परन्तु 1970 के बाद इसका भाग निरन्तर कम होता गया। वर्ष 1980 से 85 की अवधि में अमेरिका का विदेशी सहयोग के क्षेत्र में मात्र 3 प्रतिशत भागीदारी रह गई। वर्ष 1951 से 1990 तक की अवधि में अमेरिका द्वारा 6409 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध करायी, जो कुल विदेशी सहयोग का 12 प्रतिशत था।⁴ संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी विदेशी सहयोग प्रदान करने वाले राष्ट्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका अब परोक्ष रूप से विश्वबैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से विदेशी सहयोग प्रदान करने लगा है, जिसका भाग 1990—91 से 2000—01 के दौरान बढ़कर कुल सहायता का 49 प्रतिशत हो गया है। अमेरिका द्वारा सन् 2001—02 में 20.4 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई और यह राशि 2003—04 में बढ़कर 85.3 मिलियन डॉलर हो गई। इसी प्रकार वर्ष 2014—15 में यह राशि 128.6 मिलियन डॉलर हो गई।

इस आधार पर ज्ञात होता है कि भारत को विदेशी सहयोग प्रदान करने वाले राष्ट्रों में अमेरिका अहम् भूमिका का निर्वहन करता है।

ब्रिटेन— ब्रिटेन विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने वाला दूसरा प्रमुख राष्ट्र है। वर्ष 2011 में आगरा के जूता उद्योग तथा फिरोजाबाद जनपद में चूड़ी उद्योग पर प्रकाशित कुछ रिपोर्टों पर प्रकाश डाला जाए तो ज्ञात होता है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने में ब्रिटेन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं।

लिवोर (London Inter Bank offered Rate) के मध्यम से आगरा के जूता उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगों के लिए पर्याप्त

मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया है। लिवोर की ब्याज दर भी भारतीय बैंकों की तुलना में आधे से एक तिहाई दर के आसपास रहती है। वैश्वीकृत वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय बैंक को लिवोर से लगभग 0.7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे न केवल उद्यमियों को लाभ मिलता है, वरन् बैंक को भी बड़ा फायदा मिल जाता है। लिवोर आधारित ऋण की तुलना में भारतीय बैंकों से मिलने वाले ऋण की ब्याज 7 से 12 प्रतिशत वार्षिक देखी जाती है।

उपर्युक्त तथ्य का सीधा सम्बन्ध अंतरराष्ट्रीय ऋणके द्वारा भारतीय अर्थ जगत में होने वाली प्रगति से है।

इसके अलावा, ब्रिटेन और भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होने वाल ऋण 5 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर लगभग 25 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में 5 से 7 वर्ष की अवधि तक मूलधन और ब्याज दोनों पर छूट (ग्रेस पीरियड) प्रदान की जाती है।

ब्रिटेन द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भोपाल) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ स्थापित की गईं।

भारत को ब्रिटेन की ओर से विभिन्न वर्षों में अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि क्रमशः 1990-91 में 253.2 करोड़ रुपये, 1997-98 में 163.4 करोड़ रुपये, 2001-02 में 194.4 करोड़ रुपये, 2010-11 में 262.3 करोड़ रुपये तथा 2014-15 में 319.8 करोड़ रुपये रही। द्विपक्षीय सहायता प्रदान करने वाले देशों में ब्रिटेन प्रमुख स्थान रखता है। वित्तवर्ष 2004-05 में ब्रिटेन ने गरीबी उन्मूलन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1500 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने अपनी अंतरराष्ट्रीय नीति में भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश के रूप में चुना है। भारत के लिए यह विकास सहायता कार्यक्रम ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल — इन चार राज्यों का चयन किया गया है, जहाँ एकीकृत विकास कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ स्वास्थ्य, एड्सनियंत्रण, और शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ लागू की जा रही हैं।

ब्रिटेन के इस सहायता कार्यक्रम में विश्वबैंक, एशियाई विकासबैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंकटाड आदि का भी योगदान सम्मिलित है। वैसे मिलेनियम डेवलप-मेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और सन् 2015 तक इसके अपेक्षित परिणाम सामने आये। भारत में गत दशकों में काफी बढ़ोतरी हुई है और 5.5 प्रतिशत की दर से यहाँ गरीबी का प्रतिशत भी गिरा है। एक अध्ययन से पता चलता है 2004-05 में कुल गरीबों की संख्या जो 1993-94 में 32.40 करोड़ थी कम होकर 31.55 करोड़ हो गई अर्थात् 'वर्षों की अवधि में 0.85 करोड़ की कमी हुई जो बहुत कम थी। इसके बाद ब्रिटेन की सहायता के साथ कार्य किया जिसके फलस्वरूप गरीबी का प्रतिशत लगातार कम होता गया।

वर्ष 2010 में ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' ने भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम होने की सूचना दी। यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने 2015 में एक डेटा संकलित और प्रकाशित किया, जो दर्शाता है। क 1946 से 2015 की अवधि से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्चतम सहायता प्राप्त करने वाला रहा है। आर्थिक सहायता की राशि, तब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, 65.1 बिलियन डॉलर बताई गई थी।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ब्रिटेन भारत को विदेशी सहयोग देने वाला महत्वपूर्ण देश सिद्ध होता है।

कनाडा—बिजली घरों, अणुशक्ति के विकास, डीजल इंजनों, खादों के क्रम तथा उपयोग जन्म वस्तु आदि के लिए कनाडा से सहायता प्राप्त होती रही है।

वर्ष 1999-2000 में 1.7 करोड़ रु. 2000-01 में 20.6 करोड़ रुपये तथा 2002-03 में 0.9 करोड़ रु का अनुदान कनाडा सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं। 2010-11 में तथा उसके बाद 2014-15 में कनाडा द्वारा सहायता तो प्रदान की गई परन्तु यह सहायता नगण्य मात्र थी अर्थात् बहुत कम प्रतिशत में विदेशी सहयोग प्राप्त हुई। परन्तु बाद में कनाडा द्वारा सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई।

इस आधार पर हम कनाडा को भी भारत को विदेशी सहयोग करने वाला मुख्य देश कह सकते हैं।

रूस—प्रायः रूस द्वारा प्राप्त विदेशी सहयोग हमें ऋणों के रूप में दी जाती रही है, जिसकी ब्याज दर तो बहुत कम (2.5 प्रतिशत) रखी गई है। इनमें अधिकांश ऋण 12 वर्ष के भीतर लौटाने होते हैं। रूस विकासशील देशों में खानों तथा विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भी सहायता प्रदान करता है। रूस ने भारत को इस्पात उद्योग (भिलाई तथा बोकारो), कोयला खनन मशीनरी तथा प्लांट, हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, (हरिद्वार व कोयाली-गुजरात), में तेल शोधक परियोजना, सिंगरौली (U.P.) में रोगाणुनाशी औषधि परियोजना इत्यादि परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की। वर्ष 1999-2000 में रूस ने भारतको 2600 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया था। रूसी महासंघ और अन्य पूर्वी यूरोप के देशों के द्वारा 2002-03 से 2006-07 की अवधि में 4,798 करोड़ रुपये भारत को प्राप्त हुए और 2007-08 से 2010-11 में 3,371 करोड़ रुपये विदेशी सहयोग भारत को मिली।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् आई.वी.आर.डी और आई.डी.ए. से 56 प्रतिशत और एशियन विकास बैंक से 31 प्रतिशत सहायता प्राप्त हुई। कुल मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से 87 प्रतिशत सहायता मिली। जाहिर है कि अब भारत विदेशी सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से बातचीत करता है और यू.एस.ए, यू.के, जर्मनी जैसे देशों का कार्यभाग न्यूनतम हो गया है। क्योंकि अब ये देश अपनी सहायता को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।

जापान—जापान भी भारत को विदेशी सहयोग प्रदान करने में पीछे नहीं रहा है। 1999-2000 में जापान द्वारा 5.7 करोड़ रु. का अनुदान दिया तो वर्ष 2000-01 में 784.1 करोड़ रु. का ऋण और 2.2 करोड़ रु. का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2001-02 में 2053 करोड़ रुपये का ऋण तथा 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष 2002-03 में 497.3 करोड़ रु. का ऋण तथा 28 करोड़ रु. का अनुदान दिया। वर्ष 2007-08 से 2010-11 में 29.979 करोड़ रु. विदेशी सहयोग प्राप्त हुई।

वर्ष 2004 में जापान ने, भारत को 5270 करोड़ रु. का कम ब्याज वाला ऋण स्वीकृत किया गया और इस मामले में भारत अब चीन से आगे निकल गया है। जापान के इस तरह के ऋण का बजट पिछले दस साल में आधा हो गया है। लेकिन भारत की भागीदारी अब बढ़ गई है। ऋण का उपयोग दिल्ली की मेट्रोरेल, पुरुलिया पम्पस्टोरेज, धौलीगंगा, पनबिजली (बिलासपुर) जलापूर्ति के निमित्त दिया गया। जापान ने हरियाणा में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध तथा गरीबी निवारण परियोजना पर होने वाले व्यय में भी योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त 2014-15 में जापान ने 9,477 करोड़ रु. अर्थात् कुल प्राप्त सहायता का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराया।

अतः विदेशी सहयोग के रूप में जापान भारत का अभिन्न अंग प्रमाणित होता है।

जर्मनी—भारत को विदेशी सहयोग प्रदान करने वाले देशों की श्रृंखला में जर्मनी का भी अपना स्थान है जिसने रूपयों का ऋण तथा 17115 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया। सन् 2000—01 में 187.7 करोड़ रु. का ऋण तथा 5.5 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 2001—02 में 343 करोड़ रु. का ऋण तथा 69.0 करोड़ रूपये का अनुदान दिया। वर्ष 2002—03 तथा 2003—04 में भी जर्मनी ने भारत को सहायता प्रदान की। इन वर्षों में जर्मनी ने क्रमशः 73.6 करोड़ रु. ऋण एवं 51.4 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया। वर्ष 2007—08 तथा 2014—15 में जर्मनी द्वारा क्रमशः 78.3 करोड़ रु. तथा 93.80 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया।

इस आधार पर जर्मनी भी भारत को विदेशी सहयोग देने वाला प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में स्थित है। वर्ष 2007—08 से 2010—11 के बीच विदेशी सहयोग में ऋण का भाग 90 प्रतिशत पहुँच गया। यानि अभी देश को मिलने वाली आर्थिक सहायता में ब्याज के रूप में देनदारियाँ बढ़ रही हैं।

यदि परोक्ष रूप से विदेशी सहयोग की चर्चा की जाए तो विदेशों में सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए अनिवासी भारतीय भी भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

यू.ए.ई. एक्सचेंज सेन्टर की सीओओ सुधीर कुमार शेटी के अनुसार "वर्ष 2010 के दौरान विदेशी कामगारों द्वारा करीब 25 से 30 अरब डॉलर की धनराशि भारत भेजी गई। अकेले संयुक्त अरब अमीरात से वर्ष 2010 में धन हस्तान्तरण बढ़कर 10.54 अरब डॉलर हो गया जबकि वर्ष 2009 में यह 9.51 अरब डॉलर था।

खाड़ी सहयोग परिषद् (जी.सी.सी) से विदेशी कामगारों द्वारा स्वदेश भेजा गया कुल धनवर्ष 2010 में 6.1 प्रतिशत यानि 63.67 अरब डॉलर तक पहुँच गया। यह राशि वर्ष 2009 में 60.03 अरब डॉलर थी। इसका करीब आधा हिस्सा भारत आता है। वहीं पूरी दुनियाँ में विदेशी कामगारों द्वारा स्वदेश धन हस्तान्तरण 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 3.25 अरब डॉलर पहुँच गया। वर्ष 2009 में यह आँकड़ा 317.23 अरब डॉलर था इसके पश्चात् 2010 से 2015 के वर्षों में यह राशि निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनिवासी भारतीयों द्वारा भी परोक्षतः विदेशी पूंजी आर्जित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र कोष—यह संस्था वर्ष 1956 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य सर्वेक्षणों, संभाव्यता अध्ययनों, व्यवहारिक अनुसंधान, मानव संसाधन प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आवश्यक निवेश परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार यह संगठन उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है जो किसी देश या क्षेत्र की प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं। इन बाधाओं में प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, कुशल जनशक्ति की कमी तथा औद्योगिक विकास का अभाव प्रमुख हैं, जबकि ये सभी तत्व भविष्य की आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यह संस्था ऋण देने के बजाय तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह सहायता विशेषज्ञों की सेवाओं तथा भारतीय अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के रूप में दी जाती है। जनवरी 1972 से देश में इस कार्यक्रम की एक नई प्रणाली शुरू की गई। संयुक्तराष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार कई विकास कार्यक्रमों में मानव संसाधन निवेश को कम महत्व दिया जाता था, इसलिए इस कार्यक्रम के तहत भौतिक पूंजीनिवेश को अधिक प्राथमिकता दी गई।

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि भारत को विदेशी सहयोग प्रदान करने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, जापान और जर्मनी शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष

International Monetary Fund

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सहायता सम्बन्धी विश्लेषण करने से पूर्व इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना अपेक्षित है। विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने तथा भविष्य में युद्ध की सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से जुलाई, 1944 में 44 राष्ट्रों (भारत सहित) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं का जन्म हुआ पहली, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना
2. सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा
3. विनियम स्थायित्व
4. बहुमुखी भुगतान
5. अल्पविकसित राष्ट्रों को अल्पकालीन आर्थिक सहायता देना, इत्यादि।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है, परन्तु सदस्य देश को इसके समझौता पत्र की सभी धाराओं का पालन करने का बचन देना होता है। जो देश कोष का सदस्य न रहना चाहे वह सूचना मात्र से ऐसा कर सकता है। यदि कोई सदस्य मुद्रा-कोष के समझौता पत्र की किसी धारा की अवहेलना करता है, तो उसे सदस्यता से पृथक् किया जा सकता है। मार्च 1947 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के केवल 40 सदस्य थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 189 हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, सदस्य राष्ट्रों को मुख्यतः 4 प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. नियमित सुविधाएँ
 - क. अंश सुविधाएँ 1. रिजर्व अंश तथा 2. साख अंश
 - ख. विस्तृत कोष सुविधा
 - ग. पूरकवित्तीय सुविधा
2. विशेष सुविधाएँ
 - क. तेल सुविधा
 - ख. क्षति पूरक एवं आकस्मिक वित्तीय सुविधा
 - ग. ट्रस्ट कोष
 - घ. सुरक्षित भण्डार वित्तीय सुविधा
3. ऋण लेने के सामान्य प्रबन्ध तथा
4. संरचनात्मक समायोजन सुविधा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा भारत को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। मुद्राकोष द्वारा प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है—

विशेष आहरण अधिकारों के अन्तर्गत सहायता—भारत आरम्भ से ही इस योजना का भागीदार रहा है। दिसम्बर 1971 में विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर) मुद्राकोष की नई मुद्रा बन गई और कोष के सभी लेनदेन नई मुद्रा एस.डी.आर में व्यक्त किये जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में एस.डी.आर स्वर्णमुद्रा की भूमिका निभाता है— इस कारण इसे कागजी स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है।

इसके पश्चात् 1 जनवरी 1981 से अपनायी गई पद्धति में एस.डी.आर.डॉलर, जापानी येन, जर्मन मार्क, फ्रान्सीसी फ्रैंक तथा ब्रिटिश पाउण्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता था।

यूरो के अस्तित्व में आने से फ्रेंच फ्रैंक तथा जर्मनी के मार्क के स्थान पर यूरो को शामिल कर लिया गया, क्योंकि फ्रांस तथा जर्मनी यूरो को अपना लिया था। 1 अक्टूबर 2016 से चीन की मुद्रा रेनमिन्बी को इसमें शामिल कर लिया गया है।

30 अप्रैल 1998 को भारत के एस.डी.आर की जमाशेष 23 मिलियन एस.डी.आर तथा संचयी आवंटित राशि 681 मिलियन एस.डी.

आरथी। अतः भारत की जमा शेष राशि का 1.2 प्रतिशत रहा। इस योजना को आवश्यकता नुसार लाभ भारत को नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे विशेष आहरण अधिकारों के आवंटन में बहुत कम ही भाग मिल सका है तथा उनका प्रयोग विकास कार्यों में लाभ नहीं मिल सका है तथा उनका प्रयोग विकास सहायता से न सम्बद्ध होने से इसका विकास कार्यों में लाभ नहीं मिल पाया। अब यदि विशेष आहरण अधिकार योजना को विकास सहायता से सम्बद्ध कर दिया जाए तो विकासशील देशों को काफी लाभ हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्त ऋण सुविधा

इस संस्था से प्राप्त भारत को विभिन्न कलाविधियों में प्रदान की गई ऋणसुविधाओं का विवरण अग्रतालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है—

तालिका संख्या 3.1: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा भारत को दिया गया ऋण

क्रमांक	वर्ष मार्च के अन्त तक	कुल ऋण राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में
1	1991	2,623
2	1992	3,451
3	1993	4,799
4	1994	5,040
5	1995	4,300
6	1996	2,374
7	1997	1,313
8	1998	664
9	1999	287
10	2000	26
11	2001	0
12	2015	0
13	2015 तक दिये गये ऋण का योग	24877

स्रोत—आर्थिक समीक्षा 2018

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से (5040 मिलियन डॉलर) ऋण वर्ष 1994 में लिया था। इसके विपरीत वर्ष 2000 में सबसे कम (मात्र 26 मिलियन डॉलर) की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की गई। यदि वर्ष 1991 से 2000 के मध्य लिए गये ऋण को औसत के आधार पर देखा जाए तो यह ऋण सुविधा 2487.7 मिलियन डॉलर वार्षिक है।

वर्ष 2000 के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्राप्त ऋणों की स्थिति शून्य पायी गई। 31 मई 2000 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दाता सदस्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व-बैंक)

(International Bank for Reconstruction and Development IBRD (World Bank))

वर्ष 2009 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व-बैंक ने भारत को दो परियोजनाओं के लिए 40.50 करोड़ डॉलर के ऋण का अनुमोदन किया। इसके अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि आन्ध्र-प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी संस्थाओं और प्रबन्धन में सुधार तथा पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन को बढ़ावा देने से जुड़ी परियोजनाओं पर व्यय की जानी है। बैंक के अनुसार भारत के विभिन्न शहरों में दीर्घकालीन शहरी परिवहन ने परियोजनाओं के अन्तर्गत इस राशि में से 10.50 करोड़ डॉलर व्यय किये गये जबकि शेष 30 करोड़ डॉलर आन्ध्र-प्रदेश नगरनिगम विकास परियोजना के लिए इस राशि से स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी बुनियादी परियोजनाएं संचालित की जायेगी।

जनवरी 2011 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार "विश्व बैंक आगामी 12 वीं परियोजना 2012-17 के दौरान भारत सरकार को खासतौर पर बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए आर्थिक सहायता देने का वचन दे चुका है। इससे पूर्ण जुलाई, 2009 की अवधि में विश्व बैंक ने 11.1 अरब डॉलर की धन राशि उपलब्ध करायी थी।

कहने का तात्पर्य विश्व बैंक नामक संस्था ने भारत के आर्थिक विकास की गति में आने वाले अवरोधों को दूर करने हेतु तथा नवीन परियोजनाओं के निष्पादन करने हेतु समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराये है।

1945 में आयोजित ब्रेटनवुड्स अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जिन दो संस्थाओं की स्थापना का निश्चय किया गया था उनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तो सदस्य देशों के भुगतान असन्तुलन को ठीक करने के लिए बनाया गया था। परन्तु युद्धजनित अव्यवस्था को दूर करने तथा अविकसित तथा अल्पविकसित देशों का विकास करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अथवा विश्व-बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक ने जून 1946 से अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

विश्व बैंक की स्थापना 1945 में विश्व के विकासशील देशों में आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

1. पुनर्निर्माण और विकास
2. पूंजी का विनियोजन
3. भुगतान सन्तुलन
4. पूंजी की व्यवस्था, तथा
5. शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य वे सब कार्य करना है जो सदस्य देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

संसार का कोई भी देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है, किन्तु विश्व की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पहले उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। मुद्राकोष की सदस्यता छोड़ते ही उस देश की विश्व बैंक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि बैंक की कुल मत शक्ति के 75 प्रतिशत मत से उस देश को सदस्य बनाये रखने का प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो वह देश मुद्राकोष का सदस्य न रहते हुए भी विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है।

स्थापना के समय विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी 10 अरब डॉलर रखी गई थी जो 1 लाख डॉलर के 1 लाख अंशों में विभाजित थी। बैंक की पूंजी में तीन-चौथाई बहुमत से बढ़ोतरी की जा सकती है। 1 अप्रैल 1988 में बैंक के प्रशासन मण्डल ने बैंक की अधिकृत पूंजी 6.2 लाख शेयरों की बढ़ोतरी की जिससे अधिकृत पूंजी 30 जून, 1988 को बढ़कर 91436 मिलियन डॉलर हो गई। 30 जून 1989 को यह अधिकृत पूंजी बढ़कर 115668 मिलियन डॉलर (115.7 बिलियन डॉलर) तथा जून 1992 में विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी बढ़कर 152.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। 30 जून 1996 को विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जिसमें से 180.6 बिलियन डॉलर की पूंजी (अधिकृत पूंजी का 96 प्रतिशत) सदस्य देशों को अंशों के रूप में जारी की गई।

विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष रावर्ट बी. जेएलिक ने चार दिन की भारत यात्रा पर आने से पूर्व कहा कि "भारत तीव्र गति से आर्थिक विकास की दर की वजह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद मिल रही है। वैसे अभी भी विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के सामने कई तरह की

चुनौतियां है। भारत विश्व आर्थिक मंच पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले देशों में शामिल हो चुका और विश्वबैंक भारत सरकार के साथ और ज्यादा गहरे सम्बन्ध में काम करना चाहता है।” उपर्युक्त तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए प्रभाव की दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इससे हमें अपनी शक्ति एवं महत्व का आंकलन करने में सहायता भी मिल सकती है।

विश्वबैंक द्वारा भारत को प्रदान किये गये ऋणों की स्थिति अग्रतालिका में देखी जा सकती है।

तालिका संख्या 3.2: विश्वबैंक द्वारा दिये गये कुल ऋणों की स्थिति

क्रमांक	सहायता का उद्देश्य	1991 से 2015 तक (राशि मिलियन डॉलर में)
1.	विद्युतशक्ति तथा अन्य ऊर्जा स्रोत	59567.4
2.	कृषि	59080.0
3.	परिवहन	57427.6
4.	वित्त	41432.2
5.	बहुक्षेत्र	40528.7
6.	उद्योग	29963.0
7.	शिक्षा	26289.9
8.	शहरी विकास	34956.7
9.	जलापूर्ति तथा सेनिटेशन	23276.2
10.	अन्य उद्देश्य	53827.5
	कुल योग	426349.2

Source: World of Bank Annual Report – 2015

उक्ततालिका पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि विश्वबैंक द्वारा सर्वाधिक 59567.4 मिलियन डॉलर ऋणविद्युत तथा अन्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया है जबकि सबसे कम सर्वाधिक (23276.2 मिलियन डॉलर) जलापूर्ति तथा सेनिटेशन के क्षेत्र में दिया गया है।

कृषि तथा परिवहन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रदान किये गये ऋणों का अनुपात उच्चतम सीमा के निकट तक का ऋण प्रदान किया गया है। विश्वबैंक के आई.बी.आर.डी से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश भारत है। 2015 से 2018 के विश्वबैंक ने भारत को लगभग +10^{१२} बिलियन ऋण दिया है। विश्वबैंक समूह ने 2019-22 की अवधि में भारत के लिए 25-30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी है। विश्व बैंक द्वारा वर्तमान समय में दिये जा रहे ऋणों की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो यह मात्रा बहुत अधिक प्रतीत होती है। यथा-

तालिका संख्या 3.3: विश्वबैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की स्थिति

क्रमांक	अवधि	कुल ऋण
1	जुलाई, 2009 से जून 2010 तक	1110
2	2012 से 2017 तक (बारहवीं पंचवर्षीय योजना)	41320

Source: Dainik Jagran, Agra 2016

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव तथा विश्व अर्थव्यवस्था में तीव्रगति से विकास को देखते हुए विश्वबैंक जैसी संस्थाएँ स्वयं आर्थिक सहायता बढ़ाने को उत्साहित है।

1110 मिलियन डॉलर का व्यापक ऋण प्रदान करने के पीछे विश्व बैंक का भी स्वार्थ निहित है। 1.2 अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। पिछले दशकों से भारत विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और साथ ही उसका आर्थिक विकास भी हुआ है। विश्व की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में तीव्रता आयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम

International Finance Corporation

विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम (आई.एफ.सी) की स्थापना जुलाई 1956 में की। यह निगम विकास शील देशों की निजी क्षेत्र की कम्पनियों को बिना किसी सरकारी गारण्टी के ऋण प्रदान करता है और साथ ही साथ इन देशों में अतिरिक्त पूंजी विनियोग प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है, पूंजी एवं प्रबन्ध का समन्वय करता है, और पूंजीवादी देशों को विकासशील देशों में विनियोग हेतु प्रेरित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम के मुख्यतः 3 उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. निजी उद्यम को प्रोत्साहित करना
2. पूंजी तथा प्रबन्ध को एकीकृत करना तथा
3. विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम एक स्वतन्त्र संस्था है, परन्तु यह विश्वबैंक के संरक्षण में कार्य करती है, अतः इसका सदस्य होने से पहले विश्वबैंक का सदस्य होना आवश्यक है। विश्वबैंक की सदस्यता से पृथक होने वाला देश स्वतः वित्तनिगम की सदस्यता भी खो देता है। इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य देश एक साधारण लिखित सूचना देने मात्र से निगम की सदस्यता से हट सकता है। भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम का संस्थापक सदस्य है।

1956 में स्थापना के समय निगम की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) 100 मिलियन डॉलर थी, जो 100 डॉलर मूल्य के एक लाख शेयरों में विभाजित थी। 1977 में निगम की अधिकृत पूंजी बढ़कर 650 मिलियन डॉलर हो गई। जून 1987 में यह पूंजी बढ़कर 1000 मिलियन डॉलर तथा 1988 में बढ़कर 1300 डॉलर होगई।

5 मई 1992 को निगम की पूंजी में 1000 मिलियन डॉलर की सामान्य पूंजी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिसके फलस्वरूप निगम की अधिकृत पूंजी बढ़कर 2300 मिलियन डॉलर (2.3 बिलियन डॉलर) हो गई।

तालिका संख्या 3.4: निगम द्वारा प्रदत्त कुल सहायता की स्थिति 1991 से जून 2015 तक

क्रमांक	विवरण	धनराशि
01	प्रदत्त पूंजी	6621 मि. डॉलर
02	भारत का अंश	360.4 मि. डॉलर
03	विनियोग	6260 मि. डॉलर

Source: World Bank, Annual Report, 2016

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1951 से 2015 तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम द्वारा कुल पूंजी 6621 मिलियन डॉलर थी, जिसमें भारत का भाग 360.4 मिलियन डॉलर बनता है। विनियोग की कुल राशि 6260 मिलियन डॉलर पायी गई। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाह और सम्पत्ति प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करता है। जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकाससंघ

(International Development Association- IDA)

विकाससंघ की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीनेटर ई. एस. मॉनरोनी (E. S. Monroney) ने प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1959 में विश्व बैंक के प्रशासक मण्डल की बैठक में विकास संघ की रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्देश संचालक मण्डल को दिया गया। फरवरी 1960 में इसकी रूपरेखा

विश्व बैंक के 68 सदस्यों को प्रस्तुत की गई और उनके हस्ताक्षर होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 8 नवम्बर 1960 को कार्य प्रारम्भ कर दिया।

1960 में विश्व बैंक के अधीन एक सम्बद्ध संस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई। उस समय यह अनुभव किया जा रहा था कि विकासशील देशों को सहायता देने के लिए एक पृथक आर्थिक एवं वित्तीय कोष की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का परिचय इस प्रकार दिया गया है— अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए विकास संघ ने अपनी सदस्यता के लिए खुला प्रावधान रखा। यह अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और इन दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज की दर वसूल नहीं करता। सामान्यतः ऐसे ऋण विश्व के निर्धन देशों को प्रदान किये जाते हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता ब्याज रहित होती है तथा ऐसे ऋण निर्धन देशों को प्रदान किये जाते हैं।

विकाससंघ ने सदस्य राष्ट्रों की 2911 परियोजनाओं के लिए 109056 मिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किये, जिनका विवरण अग्रतालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका संख्या 3.5: विकाससंघ द्वारास्वीकृतऋणों का (2015 तक)

क्रमांक	उद्देश्य	स्वीकृतराशि (मिलियनडॉलर में)
1.	कृषि	38758
2.	बहुक्षेत्र	22695
3.	परिवहन	22604
4.	शिक्षा	20500
5.	शक्ति एवंऊर्जा	9248
6.	स्वास्थ्यआहार एवंजनसंख्या	8204
7.	जलआपूर्ति	5366
8.	शहरीविकास	5340
9.	वित्त	4900
10.	सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्ध	4453
11.	उद्योग	4327
12.	अन्य क्षेत्र	8676
	कुल योग	155071

Source: World Bank Annual Report- 2016

विकास संघ ने भारत को अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। इनमें इन्दिरा नहर परियोजना के लिए सहायता प्रदान की तथा डेयरी विकास, विद्युत विकास, रेल परिवहन, कमांड एरिया विकास, औद्योगिक आयात, उर्वरक उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, कृषि विस्तार कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।

वस्तुतः विश्व बैंक के समान अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी भारत के आर्थिक विकास में भारी योगदान कर भारत के प्रति सार्थक दृष्टिकोण अपनाया है।

एशियाई विकासबैंक

Asian Development Bank

एशियाई विकास बैंक (ए-डी-बी) ने भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के लिए भारत को वर्ष 2011 में (लगभग 34 हजार करोड़ रुपये) 7.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की घोषणा की थी। विशेषकर बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा असम में परिवहन व ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाओं को लक्ष्य करके यह सहायता दी जानी है। इसका उपयोग अगले तीन वर्ष में किया जाएगा।

सरकार ने बुनियादी ढांचे की स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से ए-डी-बी के साथ आपसी सहमति बनाते हुए तीन वर्ष का कंट्री ऑपरेशन बिजनेस प्लान (सी-ओ-बी-पी) तैयार किया है। इसके अंतर्गत सरकार मूल रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी-पी-पी) परियोजनाओं को प्रोत्साहन देते हुए बुनियादी ढांचा मजबूत करने की कवायद और तेज करने को उद्यत दिखाई दी। इस संदर्भ में ए-डी-बी कंट्री डायरेक्टर हुनकुन ने कहा, "हम भारत के विकास को गति देने व गरीबी कम करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि एशियाई विकास बैंक वह संस्था है जिसने भारत के बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी सहयोग के रूप में एक अहम वित्तीय सहायता प्रदान की है।

एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें विश्व की कुल विकासशील देशों की जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग निवास करता है, किन्तु उन्हें 37 प्रतिशत ही प्राप्त हो पाता है।

सितंबर 1963 में एशिया एवं सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, जो वर्तमान में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के नाम से जाना जाता है, द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति ने एक बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव को आयोग ने दिसंबर 1963 में मनीला में आयोजित अपनी मंत्री स्तरीय बैठक में अनुमोदित कर दिया। आयोग ने प्रस्तावित बैंक की रूपरेखा तैयार करने के लिए अक्टूबर 1964 में एक अध्ययन दल का गठन किया।

अप्रैल 1965 में आयोग की बैठकों में एशियाई विकास बैंक की स्थापना 26 नवंबर, 1966 को हुई तथा 19 दिसंबर 1966 में इसने कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय मनीला में है। एशियाई बैंक के प्रमुख क्रियाकलाप हैं—

1. विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना।
2. तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
3. गारंटी की सुविधा।
4. निजी उद्यम हेतु ऋण प्रदान करना।
5. गरीब सदस्य देशों की वित्तीय सहायता करना।

एशियाई विकास बैंक द्वारा जो ऋण भारत को स्वीकृत किए गए हैं, उनकी पूरी राशि का प्रयोग भारत द्वारा नहीं किया जा सका है। यह चिंता का विषय है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि भारत अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरी नहीं कर सका है अथवा जिन उद्देश्यों के लिए ऋण लिया गया था। उनमें राशि को विनियोजित नहीं किया जा सका है।

1991 के पश्चात एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई अधिकृत सहायता को निम्न तालिका से प्रस्तुत किया जा रहा है—

तालिका संख्या 3.6: एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को अधिकृत सहायता तथा प्रयोग (राशि मिलियन अमेरिका डॉलर में)

क्रमांक	वर्ष	अधिकृतसहायता	प्रयोग की गईराशि
1.	1990-91	446.9	212.4
2.	1992-93	1327.0	343.8
3.	1993-94	447.0	194.3
4.	1999-2000	500.0	610.5
5.	2001-02	1380.1	392.3
6.	2003-04	740.1	613.8
7.	2005-06	1155.0	470.9
8.	2008-09	1240.2	620.1
9.	2010-11	14.30.1	807.2
10.	2012-13	16.56.0	846.9
11.	2014-15	1873.3	925.3

Source: Asian Development Bank, Annual Report, 2015

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि एशियाई विकास बैंक से भारत ने विभिन्न काल खंडों में ऋण प्राप्त किए हैं, परंतु उनका पूर्ण उपयोग किसी भी वर्ष नहीं हो सका है। 1990-91 में 446.9 मिलियन डॉलर का ऋण लिया गया, जिसमें से आधी राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार 1992-93 में 1327 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया, जिसका केवल 11.4 भाग ही प्रयोग किया गया। वर्ष 2001-02 के बाद ऋणों की मात्रा में कमी की गई, परंतु उपयोग का प्रतिशत फिर भी यथावत ही रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में 1240.2 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ, परंतु उसका आधा ही प्रयोग किया जा सका। वर्ष 2010-11 में 1430.1 मिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई और 2014-15 में 1873.3 मिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई, परंतु उपयोग का प्रतिशत फिर भी कम ही रहा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को विदेशी सहयोग एवं ऋण प्राप्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में बाह्य स्रोत उपलब्ध हैं। विकसित राष्ट्रों (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान आदि) के द्वारा तो समय-समय पर भारत को विभिन्न प्रकार के अनुदान, नरम वित्तीय सुविधाएं तथा ऋणों की प्राप्ति होती ही रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई बैंक आदि के द्वारा भरपूर वित्तीय सहायता उपलब्ध होती रही है। यही कारण है कि आजादी के मात्र 6 दशक उपरांत ही भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ बनाने में सफल रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के पीछे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा देशों की भूमिका का बहुत बड़ा हाथ है।

आजादी के उपरांत भारत को व्यापक स्तर पर मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋणों एवं सहायता का परिणाम 6 दशक बाद देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर तेजी से होती बढ़ोतरी का आकलन अमेरिकी संस्थान कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नामक संस्था ने किया था।

“चीन, भारत और अमेरिका 2050 तक विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। इन देशों का कुल सकल घरेलू उत्पादन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में जी-20 देशों के कुल जीडीपी से 70 प्रतिशत अधिक होगा। बुलेटिन के लेख '2050 में जी-20' में कहा गया है कि चीन 2032 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2050 तक अमेरिका के मुकाबले 20 प्रतिशत तेजी से बढ़ोतरी करेगा।”

आज भारत भी विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 12वें स्थान पर है, जिसे अग्रतालिका में देखा जा सकता है।

तालिका संख्या 3.7: विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति वर्ष 2015

क्रमांक	देश	करोड़ डॉलर
01	अमेरिका	14444142.5
02	जापान	491069.2
03	चीन	432744.8
04	जर्मनी	367310.5
05	फ्रांस	286695.1
12	भारत	120668.4

Source: International Monetary Fund (IMP) 2015

Conclusion

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरन्तर सुधार होता जा रहा है। 2015 में विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में भारत 12 वे स्थान पर स्थिति है जबकि 2050 तक तीसरी अर्थव्यवस्था होने के अनुमान भी लगाये

जाने लगे हैं। जो एक सुखद अनुभूति को प्रकट करने वाला तथ्य है।

सन्दर्भ ग्रंथ—

1. Punjab Kesari (Arth-Jagat, P-15), Delhi, 12 December, 2009.
2. Dainik Jagran (Arth – Jagran, P-13), Jivani Mandi, Agra, 25 December, 2010.
3. Bhartiya Arthvyavastha, Dutta and Sundaram, S Chand and Company, Ram Nagar, New Delhi-110055.
4. Government of India, Economic Survey, 1999-2000, p. S-44.
5. Dainik Jagran (Arth – Jagran, p.13), 19th Feb. 2015, Jiwani Mandi, Agra.
6. Report on Currency and Finance, p-156.
7. The Market that failed : A Decade of Neoliberal Reforms in India (p.133), C. P. Chandrashekhar and Jayant Ghosh, Delhi, 2002.